न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : करणसिंह गोठवाल, आर0ए0एस0

अपील प्रकरण सं0 5/14
नक्षत्रसिंह बनाम गुरदयालसिंह वगैरा
आदेश प्रार्थना पत्र अ0 22 नियम 3 सीपीसी
आदेश दिनांक : 26 –11–15

प्रार्थी/रेस्पोडेंट सं0 2 ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के साथ फार्म नं0 3 के साथ अपीलांट की मृत्यू का प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांट नक्षत्रसिंह की मृत्यू दिनांक 28–6–15 को चक 2 सी सी तहसील पदमपुर में हो चुकी है। विधि के प्रावधान के अनुसार 90 दिन में यदि पक्षकार विधिक प्रतिनिधि को रेकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो दावा/अपील स्वतः ही एबेट हो जाती है। अतः अपील एबेट हो चुकी है इसलिए इस स्तर पर अपील दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट को दी गई।

प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस के उपरांत वकील अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अ0 आदेश 22 नियम 3 व सपठित धारा 151 सीपी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट की मृत्यू दिनांक 28–6–15 को हो चुकी है । प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है। उसे कानून की जानकारी नहीं है इसलिए मृत्यू की सूचना समय पर नहीं दे सका। प्रार्थना पत्र के साथ वारिस प्रमाण पत्र, मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र, मृत्यू प्रमाण पत्र एवं वकालतनामा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलांट के वारिसान को रेकार्ड पर लिया जावे।

प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

वकील रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत मृत्यू प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट नक्षत्रसिंह की मृत्यू गॉव 2 सी सी पोस्ट आफिस 16 बी बी में दिनांक 28–6–15 को हो चुकी है। मृत्यू हुए करीब पॉच माह का समय व्यतीत हो चुका है। विधि के प्रावधानों के अनुसार 90 दिवस से पूर्व न्यायालय को सूचना दिया जाना आवश्यक है। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत ही जब वकील अपीलांट को सुनवाई हेतु न्यायालय द्वारा आवाज लगाई गई और उपस्थित आने पर जब वकील अपीलांट को अपीलांट की मृत्यू का ज्ञान हुआ तो उसके बाद उनके द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। वकील अपीलांट द्वारा समयावधि में, अपीलांट की मृत्यू के बाद उसके वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा रेस्पोडेन्ट सं0 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये योग्य है तथा अपीलांट की मृत्यू दिनांक 28–6–15 को हो जाने एवं अपीलांट द्वारा अपीलांट के विधिक उतराधिकारियों को रेकार्ड पर लिये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न करने के कारण प्रस्तुत अपील एबेट हो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।

फलस्वरूप, प्रार्थना पत्र प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट सं0 2 अ0 आदेश 22 नियम 3 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा हस्तगत अपील एबेट हो जाने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 26–11–15 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/11/15

(करणसिंह गोठवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)